न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्रीकुसुमलता चौहान , आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्याः– 163/2022

प्रार्थी

01. गौरवपूर्ण प्रकाश पुत्र घीसाराम जाति रेगर निवासी हरियामाली, तहसील सोजत जिला पाली (राज0)।

बनाम अप्रार्थीगण

01. भोपाल सिंह पुत्र करण सिंह
02. अनोप सिंह पुत्र भीकसिंह
03. लाल सिंह पुत्र भीकसिंह
04. हरिसिंह पुत्र भीकसिंह
05. दाक कंवर पत्नी पाबुसिंह जातिगण राजपुत निवासीगण हरियामाली तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।
06. छगनाराम पुत्र शेराराम
07. भीवाराम पुत्र डावरराम
08. रामलाल पुत्र भीवाराम
09. राजुराम पुत्र लच्छाराम जातिगण सीरवी निवासीगण हरियामाली तह0 सोजत जिला पाली राज0।
10. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

01. श्री गोविन्द दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक : 20/05/24

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा हरियामाली पटवारी हल्का हरियामाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ा कलां तहसील सोजत जिला पाली में प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि वर्तमान खाता नंबर 79 खसरा नंबर 171/1038 रकबा 1.0800 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि आयी हुई स्थित हैं। जो प्रस्तुत राजस्व जमाबंदी एवं राजस्व नक्शा से स्पष्ट हैं। उक्त वर्णित प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नंबर 171/1038 के चिपते ही अप्रार्थीगण तमाम की कब्जा काश्त की स्थित हैं। प्रार्थी की कृषि भूमि के खसरा नंबर 171/1038 की भूमि व अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के बीच स्थित माठो एवं सीमाओं एवं धोरा पाली को लेकर हमेशा मौके पर भारी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं तथा मौके पर माठो एवं सीमाओं के विवाद को लेकर आपसी मन मुटाव व विवाद होते रहते हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थी की उक्त भूमि में अनावश्यक कब्जा करने की नियत से हस्तक्षेप करते है तथा प्रार्थी की पूर्व में कायम की गई माठ को भी विधि विरूद्ध रूप से अप्रार्थीगण ने तोड़ कर प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में दखल अन्दाजी कर, प्रार्थी को काश्त करने में भी सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न करता रहता हैं। मौके पर हर समय सीमा एवं माठ को लेकर भारी विवाद करता रहता

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

है तथा अप्रार्थीगण की नियत प्रार्थी की खातेदारी हक हकूक की भूमि पर पत्थरगड्डी के अभाव में अवैध कब्जा की नियत रही हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य माठ, सीमाओं की वजह के कारण हर समय विवाद होने की संभावना होने पर प्रार्थी ने अपनी खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि के खसरा नंबर 171/1038 भूमि के सीमांकन एवं पैमाईश हेतु आवेदन तहसीलदार, सोजत के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 11.04.2022 को प्रस्तुत किया था, जिस पर तहसीलदार सोजत के आदेश क्रमांक/भू0अ0/22/813 दिनांक 11.04.2022 की अनुपालना में पटवारी ग्राम हरियामाली द्वारा सीमाकंन कर, मौका फर्द बनायी गयी तथा दौराने मौका सीमांकन अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर विवाद किया गया तथा दोनो पक्षकारान के मध्य विवाद हो जाने के कारण से सीमाज्ञान के पश्चात् पत्थरगड्डी नहीं की जा सकी तथा अप्रार्थीगण मौके पर प्रार्थी के साथ प्रार्थी की हक हकूक की भूमि के सीमाज्ञान/पत्थरगड्डी के अभाव में लगातार विवाद कर रहे हैं। इसलिए प्रार्थीया अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान/पत्थरगड्डी करवा कर मौके पर मुटाम लगवाकर अपनी खातेदारी कृषि भूमि को अप्रार्थीगण से सुरक्षित करवाना चाहता हैं। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण को कई बार अपनी अपनी कृषि भूमि का मौके पर सीमाकंन/पत्थरगढी करने हेतु मौखिक निवेदन किया लेकिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को मना कर दिया। तुम्हारे जो करना है वो कर दो तथा मौके पर पटवारी द्वारा सीमाज्ञान हेतु आने पर भी विवाद करने से मौके पर सीमाकंन/पत्थरगड्डी नहीं किया जा सका। इसलिए उक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि का पत्थर गड्डी के जरिये सीमाकंन किया जाना कानूनन एवं न्याय संगत है, यदि सीमाकंन नहीं किया जाता है तो प्रार्थीया को अपूर्णिय क्षति होगी। इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत सीमाकंन पत्थर गड्डी के जरिये करवाने हेतु पेश है। प्रार्थी उपरोक्त कृषि भूमि सरहद मौजा हरियामाली में स्थित होने से यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार का हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद मौजा हरियामाली के खसरा नम्बर 171/1038 रकबा 1.0800 हैक्टर किस्म बारानी दोयम का सीमाकंन किया जाकर मौके पर पत्थर गठी कर मुटाम (मुड्डे) लगवाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। 02,03 व 05 बाजवूद सूचना / तामिल बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अधिवक्ता अप्रार्थी को जबाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु प्रर्याप्त अवसर देने पर पेश नही करने से इनका जबाब प्रार्थना पत्र आज बन्द किया जाता है।

बहस प्रार्थना पत्र वकुलाय सुनी गई। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रार्थना पत्र सरहद मौजा हरियामाली के खसरा नम्बर 171/1038 रकबा 1.0800 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि का बरूवे मौका राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शा अनुसार मौके पर नापचौप करके सीमांकन करवाकर मुटाम लगवाया जावें तत् पश्चात् मौके पर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवायी जाने की ईश्तदुआ की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थी अपनी कृषि भूमि का सिमांकन

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

करवाकर पत्थरगढी के जरिये मुटाम कायम करवाना चाहता है जिसका उसके हक अधिकार प्राप्त है। लिहाजा सरहद मौजा हरियामाली के खसरा नम्बर 171/1038 रकबा 1.0800 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि का प्रार्थी की हक हकूक खातेदारी अधिकार एवं कब्जा काश्त की भूमि स्थित का सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने तथा मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाने की पालना किये जाने हेतु आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा हरियामाली के खसरा नम्बर 171/1038 रकबा 1.0800 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि भूमि प्रार्थी की हक हकूक खातेदारी अधिकार एवं कब्जा की कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने तथा तत्पश्चात मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(कुसुमलता चौहान)
खण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 20/05/24 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)